>

Title: Need to expedite the disbursement of scholarship amount to the students belonging to minority communities in Madhya Pradesh.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): महोदय, भारत सरकार जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए कृतसंकल्प है तथा विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से पूरे देश में संचालित भी कर रही है। इन योजनाओं में अधिकांश योजनाएं शत प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन हेतु दिए जाने वाली छात्रवृत्ति राशि की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों की जांच जिला स्तर पर ही कर छात्रवृत्ति के चेक बना दिए जाते हैं व छात्रों को समय पर वितरण भी कर दिए जाते हैं। परंतु यहीं पर अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र विद्यार्थियों की सूची राज्य शासन को भेजी जाती है, जहां से काफी इन्तजार के बाद विद्यार्थियों को उस छात्रवृत्ति की राशि के चेक डाक के माध्यम से सीधे उनके घर के पते पर रवाना किए जाते हैं, जिसे प्राप्त होने में काफी समय लग जाता है जिसके कारण इन अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन को यह स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु केंद्रीय बजट, जो कि राज्य शासन के माध्यम से संबंधित जिले को आबंटित किया जाता है एवं संबंधित विद्यार्थियों को शालाओं में ही छात्रवृत्ति राशि के चेक वितरित किए जाते हैं, उसी प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भी दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि के बजट को राज्य शासन सीधे संबंधित जिलों को आबंटित करें ताकि इन विद्यार्थियों को भी भुगतान में विलंब न हो व भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का समय से लाभ प्राप्त हो सके।